



# फर्द अहकाम

राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमशामगढ़, जयपुर

रामनाथजी वरुण बनाम सलकाट वरुण

मुकदमा संख्या/वर्ष : 39/2021

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>तकील उभय पक्षों की अस्तित्व पुनी गरी, उभय पक्ष अधिकारियों की अस्तित्व अज्ञान करने पर फौजदार (सलकाट वरुण) को 1 के जवाब का अनलौकिक करने व जमानतली से शांतिगत दातवेजात- 111111 सूरत का अनलौकिक करने पर बाड़ी के वाद पक्ष को गुणाकगुणा के आधार पर खारिज करना उचित समझा है। मात्र बाड़ी के वाद को गुणाकगुणा के आधार पर आस्तीकरण कर खारिज किया जाय है। विस्तृत निर्णय प्रत्येक के लिच्छीकरण शांतिगत जमानतली) किया गया। जमानतली फौजदार शुरत डेकर गभर के कछठे वषर वाद प्रति डेकर दाखिल कर है।</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जमशामगढ़ जिला-जयपुर</p>	